"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288-अ ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2011—कार्तिक 7, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-15/2009/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-10-2009 द्वारा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कोरबा के निर्माणाधीन पावर प्लांट की चिमनी ढहने की घटना की न्यायिक जांच हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संदीप बख्शी की सदस्यता में जांच आयोग का गठन तीन माह के लिए किया गया था, उसी अनुक्रम में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-01-2010 द्वारा आयोग के कार्यकाल में तीन माह तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-04-2010 एवं दिनांक 08-10-2010 द्वारा छः-छः माह तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-04-2011 एवं दिनांक 01-07-2011 द्वारा पुनः तीन-तीन माह के लिए वृद्धि की गई थी. चूंकि जांच प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, अतः राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 13-10-2011 से तीन माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. टोप्पो,** अतिरिक्त सचिव.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.